विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति के लिए अन्टाईड फण्ड के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रत्येक 5 लाख की शहरी जनसंख्या वाले शहरों में प्रत्येक 2.5 लाख की जनसंख्या पर एक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जानी है। वर्तमान में लखनऊ में संचालित 08 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृह एवं वाराणसी में संचालित 02 मैटरनिटी होम को अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराते हुये नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

इन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समिति का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अनुसार ही किया गया है। नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समिति को उपलब्ध करायी गयी अन्टाइड धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में वार्षिक राज्य कार्ययोजना के अनुसार लखनऊ जनपद के 8 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह) हेतु रू0 5.00 लाख प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुसार कुल स्वीकृत धनराशि रू0 40.00 लाख अनुमोदित की गयी थी। उक्त धनराशि को राज्य स्तर पर वर्ष 2017–18 हेतु कमिटेड की गयी है, जिसको अवमुक्त किया जा रहा है।

इसी प्रकार वर्ष 2017–18 की आर.ओ.पी. में वाराणसी नगर के 2 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (चौकाघाट एवं दुर्गाकुण्ड मैटरनिटी होम) हेतु अन्टाइड फण्ड के रूप में रू0 5.00 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुसार कुल स्वीकृत धनराशि रू0 10.00 लाख अवमुक्त की जा रही है।

सामान्य निर्देश–नगरीय क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवंटित अन्टाइड फण्ड को निम्न निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाना है–

- समस्त वित्तीय लेखा अभिलेखों का रख–रखाव भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये **मॉडल एकाउन्टिंग हैण्डबुक** के अनुसार की जाये। इस सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के पत्रांक एन.आर.एच.एम./एस.पी.एम.यू./ऑडिट/2011–12/178/1802–71 दिनांक 11 अप्रैल 2011 एवं मिशन निदेशक के आदेश सं0 एन.आर.एच.एम./एस.पी.एम.यू./ऑडिट/2011–12 /178/1052–71 दिनांक 17 मई, 2011 द्वारा दिये गये हैं, का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- प्रत्येक नगरीय सामु0स्वा0के0 पर रोगी कल्याण समितियों का गठन कर पंजीकृत होना एवं पृथक खाता स्टेट बैंक में होना अनिवार्य है।
- जिला स्वास्थ्य समिति से नगरीय सामु0स्वा0के0 की <u>उन रोगी कल्याण समिति के खातें में सीधे इलेक्ट्रॉनिकली धनराशि स्थानान्तरित की जाये</u> जिनकी समिति गठित है। रोगी कल्याण समिति को किसी भी दशा में चैक के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरित नहीं की जाये।

रोगी कल्याण समिति के लिए अवमुक्त धनराशि किसी अन्य खाते में स्थानान्तरित नही की जा सकती है।

- यदि किन्हीं परिस्थितियों में रोगी कल्याण समिति को राज्य अथवा जिला स्वास्थ्य समिति से किसी मद में व्यय हेतु निर्देश प्राप्त होते हैं तो रोगी कल्याण समिति को कार्यकारी समिति का नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। रोगी कल्याण समिति को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि किसी भी अन्य स्तर से व्यय ना की जाये।
- कतिपय कारणों से यदि किसी मद हेतु अनुमोदित धनराशि चिकित्सालय/चिकित्सा इकाई को अभी तक आवंटित नहीं हो पायी है अथवा स्थानान्तरित नहीं हो पायी है, ऐसी स्थिति में चिकित्सालय की कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार, उक्त मद में व्यय हेतु अनुमोदित धनराशि की सीमा तक, रोगी कल्याण समिति के अन्टाइड अनुदान से ऋण लिया जा सकता है, परन्तु सम्बन्धित मद में धनराशि प्राप्त होते ही, सर्वप्रथम लिए गये ऋण की धनराशि को रोगी कल्याण समिति को वापस करना होगा। यह धनराशि किसी भी दशा में रोगी कल्याण समिति को कुल आवंटित अन्टाइड अनुदान के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- कार्यकारी समिति की आयोजित बैठक में अन्टाइड अनुदान के अर्न्तगत आय एवं व्यय का समुचित व्यौरा प्रस्तुत किया जाये एवं आगामी माह में धनराशि व्यय हेतु लिये गये निर्णयों को कार्यवृत्त पंजिका में अवश्य अंकित किया जाये।
- अन्टाइड धनराशि के समुचित उपयोग हेतु सर्वप्रथम यह आंकलन कर लें कि चिकित्सालय Indian Public Health Standards के अनुसार न्यूनतम सेवायें प्रदान कर पा रहा है अथवा नहीं। चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में गुणात्मक सुधार हेतु सेवाओं का चिन्हींकरण कर कार्ययोजना बनायी जाये। इस सम्बन्ध में अनुश्रवण समिति की आख्या का अध्ययन कर व्यय हेतु मदों की प्राथमिकता तय की जा सकती हैं। अनुश्रवण समिति का उत्तरदायित्व है कि इसके सदस्य स्वास्थ्य इकाई का निरीक्षण कर प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता का आंकलन कर लें जिसके अनुसार धनराशि उपयोग किये जाने हेतु मदों का सुझाव दिया जा सकता है।

नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अन्टाईड धनराशि को व्यय करने सम्बन्धी दिशा–निर्देश

विभिन्न निर्माण कार्यों पर कुल अनुमोदित धनराशि का 50% से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जा सकेगी। इस मद में निम्न कार्य कराये जा सकते हैं–

1. प्रत्येक प्रकार की मरम्मत कार्य एवं नवीनीकरण किया जाना जिसमें आवासीय भवन भी सम्मिलित है।
2. सैप्टिक टैंक/शौचालय का निर्माण, मरम्मत एवं साफ–सफाई।

3. चाहर दीवारी / फेन्सिंग कार्य।
4. जल भंडारण टैंक (क्रय, स्थापना, निर्माण, मरम्मत, साफ–सफाई इत्यादि)।
5. जल आपूर्ति लाइनों की स्थापना, प्रतिस्थापना एवं मरम्मत कार्य।
6. रंगाई–पुताई।
7. बिजली से सम्बन्धित कार्य।
8. बायो मेडीकल बेस्ड मैनेजमेन्ट (कूड़ेदान, गढ्ढे, निस्संक्रामक) की व्यवस्था।
9. अस्पतालों तक जाने वाले रास्तों की मरम्मत एवं सुदृढ़ता।
10. अस्पताल के प्रांगण का सौन्दर्यकरण।
11. बिजली एवं जल हेतु बिल का भुगतान आदि।
12. साधारण उपकरणों यथा मरीज देखने की मेज, प्रसव टेबल, रक्तचाप नापने का उपकरण, हीमोग्लोबिन मीटर, कॉपर–टी लगाने की किट, वजन मशीने, मैकनटॉश शीट आदि की खरीद अथवा मरम्मत हेतु। उपकरणों के क्रय हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए–
    - उपकरणों का क्रय Bulk order के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।
    - सामान्यतः इस प्रकार के क्रय विशेष परिस्थितियों में ही किये जा सकते हैं।
    - यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि इन उपकरणों हेतु धनराशि अलग से उपलब्ध है तो अन्टाइड अनुदान का उपयोग ना किया जाये।
13 खर्च योग्य सामग्री जैसे दवाईयाँ, पट्टियाँ, ब्लीचिंग पाउडर या अन्य कोई वस्तु जो अनिवार्य सामग्री है, चिकित्सालय हेतु या वह भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों में उल्लेखित है। इसका उद्देश्य मात्र अस्थाई रूप से कार्य में आ रही बाधाओं के निराकरण हेतु है, यह राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा दी जा रही दवाईयों यह उन मदों में प्रदान किये जा रही धनराशि की प्रतिपूरक व्यवस्था नहीं है।
14 पर्यावरण स्वच्छता हेतु आवश्यक अवयवों की पूर्ति करना।
15 आकस्मिक स्थिति में संदर्भन इकाईयों तक ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था करना। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वर्तमान में रोगियों के परिवहन हेतु चिकित्सालय के एम्बुलेंस के अतिरिक्त 102 एवं 108 की सुविधा भी उपलब्ध है। इन सुविधाओं की अनुपलब्धता की दशा में आकस्मिकता के दृष्टिगत उपरोक्त मद में धनराशि व्यय की जा सकती है।
16 समुदाय को स्वास्थ्य से सम्बन्धित संदेशों के प्रति जागरूक करने हेतु स्वास्थ्य संदेशों का प्रचार–प्रसार किया जाना।
17 रोगियों हेतु प्रतीक्षा कक्ष एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ हेतु किया जाने वाला व्यय।
18 चिकित्सालय में कक्ष दिशा सूचकों हेतु किया जाने वाला व्यय।

19 चिकित्सालय को Baby Friendly, Disabled friendly, Elderly friendly आदि बनाये जाने हेतु किया जाने वाला व्यय।

20 चिकित्सालय भवनों में लघु परिवर्तन एवं मरम्मत कार्य जैसे–गोपनियता हेतु परदे की व्यवस्था, नल की मरम्मत एवं बल्ब की व्यवस्था इसके अतिरिक्त लघु मरम्मत के कार्य जैसे–फर्नीचर एवं उपकरणों की मरम्मत जो कि स्थानीय स्तर पर किया जा सकता हो।

21 महामारी के समय नमूनों को पहुँचाने के लिए

उपरोक्त दिये गये सम्भावित मदों के अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति अपनी आवश्यकतानुसार कार्ययोजना बनाकर नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। रोगी कल्याण समिति द्वारा क्रय किये गये सामग्री को स्टाक बुक में अंकित किया जायेगा तथा यह भी अंकित किया जायेगा कि सामग्री का क्रय रोगी कल्याण समिति के अनुदान से किया गया है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

रोगी कल्याण समिति अनुदान (अन्टाइड अनुदान) में उपलब्ध धनराशि का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना बनाने के उपरान्त रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की आयोजित बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जाय। प्रत्येक माह कार्यकारी समिति में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाये, इसी प्रकार प्रत्येक त्रैमास में रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय द्वारा भी भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाय। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में जनपद के समस्त रोगी कल्याण समितियों के नियोजित के सापेक्ष आयोजित बैठकों के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी।

जैसा कि आप अवगत है कि विगत वर्षो में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य इकाईयों पर गठित रोगी कल्याण समिति में कथित वित्तीय अनियमिताओं के दृष्टिगत सी0ए0जी0 द्वारा कथित जनपदों में रोगी कल्याण समिति की धनराशि उपभोग में गम्भीर आपत्तियां उठाई गई है, अतः यह सुनिश्चित करें ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आडिट द्वारा आपत्ति की जाये, धनराशि का पूर्ण सर्तकता, सजगता, संवेदनशील व पारदर्शिता से उपयोग किया जाय। यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे जिनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी।